कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

Email:- direleshaladarshan@gmail.com USER ID: ELE_ADMIN (Office ID (NIC) :- 8098)

क्रमांक :– शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/220 दिनांक :– 03.6.2019

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा समस्त।

विषयः– शाला दर्पण पोर्टल पर पदनाम गलत प्रदर्शित होने वाले विशेष शिक्षकों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व आदेशानुसार प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि में स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यवाही प्रकियाधीन है। इस कार्यालय को विभिन्न स्तरों से प्राप्त जानकारी से यह संज्ञान में आया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कुछ विशेष शिक्षक जिनका मूल पद अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल–1 /अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल–2 है उनका मूल पद सही प्रदर्शित नहीं होकर अध्यापक लेवल–1/ अध्यापक लेवल–2 प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में यदि इस गलत प्रविष्ट सूचना के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न का पुनःनिर्धारण किया जाता है तो विसंगित उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल– प्रथम /अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल–द्वितीय का मूल पद उपर्युक्तानुसार सही प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इस हेतु निम्नांकित प्रारूप में संशोधन प्रस्ताव आवश्यक रूप से शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर के ईमेल पते rajssashaladarshan@gmail.com पर दिनांक 06.06.2019 सायं 5:00 बजे तक जरिए ईमेल भिजवाकर शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट होने से पूर्व उक्तानुसार संशोधन करवाया जाना सुनिश्चित करावें:–

क.सं	नाम विशेष शिक्षक	मूल पद (विशेष शिक्षक लेवल–2/लेवल–1	पोर्टल पर जिस पद पर प्रदर्शित हो रहा है (अध्यापक लेवल–2/लेवल–1	पदस्थापन स्थान मय डाइस कोड	केटेगरी (एचआई/एमआर/वीआई आदि)	विषय (विशेष शिक्षक लेवल–2 हेतु)

सूचना के साथ पुष्टि हेतु कार्मिक के सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ जिसमें पदनाम अंकित हो, की प्रमाणित प्रति तथा नियुक्ति आदेश की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जावे।

उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त ऐसे किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इसके पश्चात् इस कारण से उत्पन्न हुई किसी भी विसंगति के लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायत राज (प्रा.शि.)विभाग, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ दिनांक :– 03.06.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों से निर्धारित अवधि में निर्देशितानुसार कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

2– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/एसीबीईओ–I समस्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने ब्लॉक की सूचना तैयार करवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रा.शि. को अविलम्ब प्रेषित करावें।

3– रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायत राज (प्रा.शि.)विभाग, राजस्थान
बीकानेर

dir/ele/shaladarshan/A/PY/new/493